संख्या–1743/V–2/58(आ0)14/2016

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

**विषय– मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अपेक्षित रेग्यूलेशन पोलिसी, निर्माण कार्य हेतु गाईडलाईन्स एवं बाईलॉज निर्गत किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में पारित आदेशों के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के तटीय विकास/निर्माण निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

**मैदानी क्षेत्र**

**(अ)– प्रतिबन्धित जोन–** मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबन्धित जोन निर्धारित किया गया है। उक्त क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्ध, वृक्षारोपण, घाट निर्माण व नदी तटीय विकास/निर्माण कार्य अनुमन्य होंगे।

नोट– उक्तानुसार परिभाषित प्रतिबन्धित जोन का निर्धारण सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

**(ब)– रेग्यूलेटरी जोन–** मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मीटर से अग्रेत्तर 300 मीटर तक के क्षेत्र को रेग्यूलेटरी जोन निर्धारित किया गया है।

(1) नदी के तट से 30.0–30.0 मीटर तक का क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र, जो पच्चीस साल तक के अन्तराल के आधार पर (flood upto 25 year frequency) बाढ़ प्रभावित हों, में से जो भी अधिक होगा, में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। रेग्यूलेटरी जोन वृक्षारोपण/पार्क/मैदान/कृषि आदि तत्संबंधी गतिविधियों हेतु आरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर आहुत होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थायी निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार होगा तथा उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त अवशेष रेग्यूलेटरी क्षेत्र में निम्न निर्माण/पुनर्निर्माण निर्धारित प्रतिबन्धों की सीमा तक अनुमन्य होगें:–

(i) मठ, आश्रम एवं मन्दिर का निर्माण निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होगा:–

(अ) भू–आच्छादन–35 प्रतिशत,

(ब) तल क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)–1.5,

(स) भवन की अधिक ऊँचाई 7.5 मीटर अथवा दो मंजिल,

क्रमशः पृष्ठ–2

(द) क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था हेतु मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार कार्यवाही उपरान्त प्रस्तावित निर्माण अनुनन्य किया जायेगा,

(ii) इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में है, की विद्यमान भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 की सीमा तक, परन्तु अधिकतम 7.50 मीटर ऊँचाई की सीमा तक पुननिर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो।

नोट–

- निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम प्लिन्थ लेवल 1.00 मीटर होगा।
- क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था के संबंध में मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(स)– **स्कैप चैनल**– सर्वानन्द घाट से शमशान घाट खड़खड़ी व हर की पैड़ी से होते हुये डामकोठी तक व डामकोठी के पश्चात सतीघाट कनखल होते हुये दक्ष मंदिर तक बहने वाले भाग को स्कैप चैनल माना जाता है। उक्त क्षेत्र में जल प्रवाह नियन्त्रित होने के फलस्वरूप बाढ़ से प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। अतः मात्र प्रदूषण के विषय पर नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु इस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति, स्थल पर सीवरेज की समुचित व्यवस्था प्राधिकरण स्तर से सुनिश्चित करवाते हुए दी जायेगी।

2– गंगा नदी के किनारे निर्माण/प्रतिबन्ध से सम्बन्धित पूर्व के समस्त शासनादेशों को भी तत्काल प्रभाव से अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,

( आर0 मीनाक्षी सुन्दरम )
सचिव

संख्या–1743/V–2/58(आ0)14/2016–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3– जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
5– महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

( सुरेन्द्र सिंह रावत )
उप सचिव